

दिनांक-25.05.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं चौर से जल निकासी के उद्देश्य से मनरेगा / VB-G-RAM-G के अंतर्गत जल संसाधन विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

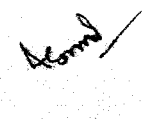
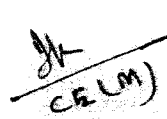
बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :-

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
2. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार
3. आयुक्त, मनरेगा, बिहार
4. मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना
5. अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4, पटना
6. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना
7. सभी जिले के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त एवं जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ प्रक्षेत्र - V.C के माध्यम से

दिनांक-05.01.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं चौर से जल निकासी आदि कार्य जल संसाधन विभाग के द्वारा मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में दिनांक-10.02.2026 को मनरेगा / VB-G-RAM-G के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वयन इकाई के रूप में योजनाओं का कार्यान्वयन किये जाने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्तादेश निर्गत किया गया है।

दिनांक-25.05.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में मनरेगा / VB-G-RAM-G के अंतर्गत जल संसाधन विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सभी जिला पदाधिकारी, बिहार के साथ संपन्न हुई। बैठक में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा भी भाग लिया गया। बैठक के दौरान विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त विकास आयुक्त महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गए :-

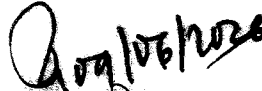
- 1) सभी जिलों के लिए नामित जल संसाधन विभाग के नोडल कार्यपालक अभियंता को मनरेगा / VB-G-RAM-G के अंतर्गत आकस्मिक मद (Contingency) में कार्य के अनुसार 1% (एक प्रतिशत) की दर से निधि स्थानान्तरण ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा किया जाय।
- 2) सभी जिला पदाधिकारी को जन प्रतिनिधि के साथ योजनाओं का स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु निदेश दिया गया ताकि आमजनों को भी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
- 3) जिन जिलों में योजनाओं की संख्या कम पाई गयी विशेषकर बक्सर, जहानाबाद, सहरसा, नालन्दा, मुजफ्फरपुर आदि, उन जिलों में माननीय जनप्रतिनिधियों/मुखिया एवं जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक योजनाओं का चयन किया जाय ताकि सिंचाई/चौर विकास सुविधाओं में वृद्धि की जा सकें। साथ ही वर्तमान में इन जिलों में लिए चयनित योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन कर ससमय पूर्ण किया जाय।
- 4) पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले में योजनाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ मुख्यालय स्तर पर भी योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय।

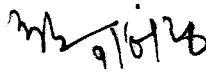
  
CE (M)

- 5) जल संसाधन विभाग के विभिन्न लघु नहरों के लिए मनरेगा/VB-G-RAM-G के अंतर्गत 20 घनसेक अथवा उससे कम जलश्राव निर्धारित है, परन्तु जलरुद्ध क्षेत्रों/चौर से जल निकासी से संबंधित योजनाओं के चयन में 20 घनसेक अथवा उससे कम जलश्राव की बाध्यता नहीं रहेगी।
- 6) मनरेगा/VB-G-RAM-G अंतर्गत प्रारंभ की गई योजनाओं को 15 जून 2026 तक पूर्ण कर लिया जाए ताकि सिंचाई अवधि में किसानों को लाभ मिल सके। इस कार्य हेतु सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करें।
- 7) जिन योजनाओं को मॉनसून के पूर्व मनरेगा/VB-G-RAM-G अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सका है वैसी योजनाओं को मॉनसून के पश्चात् शामिल किए जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

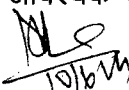

सचिव
जल संसाधन विभाग


प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग


विकास आयुक्त
बिहार

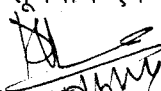

CE(M)

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV-381 /पटना, दिनांक- 10.6.2026
प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

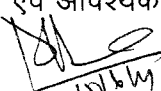
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV-381 /पटना, दिनांक- 10.6.2026
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV-381 /पटना, दिनांक- 10.6.2026
प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 381 /पटना, दिनांक- 10.6.2024
प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
समर्पित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 381 /पटना, दिनांक- 10.6.2024
प्रतिलिपि:- सभी जिला के जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 381 /पटना, दिनांक- 10.6.2024
प्रतिलिपि:- जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 381 /पटना, दिनांक- 10.6.2024
प्रतिलिपि:- जल संसाधन विभाग के संबंधित जिलों के सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-यो०मो०-4 (विविध) 07-431/2022 पार्ट-IV- 381 /पटना, दिनांक- 10.6.2024
प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय